कार्यालय कलेक्टर (म.बा.वि.शाखा) जिला दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा

क्रमांक / 1257 / म.बा.वि. / स्था0 / 2023–24 दंतेवाड़ा, दिनांक 15-1-24

मिशन शक्ति के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण केन्द्र (Hub for Empowerment of Women-DHEW) के संचालन स्वीकृत पदों नियुक्ति हेतु विज्ञापन

भारत सरकार एकीकृत महिला शक्तिकरण कार्यक्रम अंतर्गत महिलाओं के सुरक्षा एवं बचाव हेतु एक अम्ब्रेला योजना ''मिशन शक्ति'' की शुरूआत की है। मिशन शक्ति के अंतर्गत सभी आने वाली योजनाओं का क्रियान्वयन एवं संचालन जिला स्तर पर जिला स्तरीय महिला सशक्तिकरण केन्द्र (District Hub for Empowerment of Women) के द्वारा किया जाना है। **जिला स्तरीय महिला सशक्तिकरण केन्द्र HUB(DHEW)** दिशा निर्देशों के अनुरूप जिले के हब हेतु 08 संविदा पदों की पूर्ति हेतु स्वीकृति प्राप्त हुई है। उक्त पदों की पूर्ति किए जाने हेतु दिये गये निर्देश के अनुपालन में संलग्न तालिका में दर्शाए विवरण के अनुरूप योग्यता धारित करने वाले अभ्यर्थियों से दिनांक 05/02/24 तक कार्यालयीन समय शाम 5:30 बजे तक कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग दन्तेवाड़ा में पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदन आमंत्रित है। विवरण निम्नानुसार है –

क्र0	पदनाम	जिले हेतु स्वीकृत पदों की संख्या			वेतन मैट्रिक्स लेवल	निर्धारित एकमुश्त / संविदा मासिक वेतन
		UR	ST	योग		
1	जिला मिशन समन्वयक	01	0	01	10	31450
2	जेन्डर विशेषज्ञ	00	02	02	8	25780
3	वित्तीय साक्षरता एवं समन्वय विशेषज्ञ	00	02	02	7	20900
4	कार्यालय सहायक	01	0	01	6	18420
5	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर PMMVY	01	0	01	4	14200
6	मल्टी टास्क स्टाफ	01	0	01	2	11720

चयन हेतु आवश्यक शर्ते –

01 आयु सीमा–

- जिला मिशन समन्वयक तथा जेण्डर विशेषज्ञ, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण विशेषज्ञ हेतु अभ्यर्थी की आयु 01.01.2023 को 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी को आयु सीमा में छूट के संबंध में राज्य शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप छूट की पात्रता होगी, किन्तु सभी छूटो को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष से अधिक नही होगी।
- शेष अन्य सभी पदों हेतु अभ्यर्थी की आयु 01.01.2023 को 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो। इन पदों हेतु इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप आयु की छूट की पात्रता होगी, किन्तु सभी छूटों को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नही होगी।

- आयु के सत्यापन/समर्थन हेतु जन्म प्रमाण–पत्र या कक्षा 8वीं, 10वीं की अंक सूची, जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, के आधार पर किया जावेगा। दस्तावेज सत्यापन के समय मूल प्रति एवं स्वप्रमाणित प्रति लाना अनिवार्य होगा।
- जिला मिशन समन्वयक तथा जेण्डर विशेषज्ञ, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण विशेषज्ञ तथा वित्तीय साक्षरता एवं समन्वयक विशेषज्ञ पद हेतु छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी होना अनिवार्य नही है, किंतु छत्तीसगढ़ राज्य के निवासियों के आवेदन करने पर उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी, इस हेतु मेरिट निर्धारण में अंकीय प्रणाली में छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को इन पदों हेतु 02 पद बोनस अंक दिया जाएगा।
- शेष पदों पर अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण–पत्र ही मान्य किए जावेंगे।
- आरक्षित वर्ग हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नही होगा/होगी। चयन होने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी को रूपये 50/– के स्टॉम्प पेपर पर नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित तत्संबंधी शपथ–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया जो, जिसकी पहले से ही एक पति/पत्नी जीवित हो, पात्र नही होगा/होगी। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात् यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।
- आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जमा किया जावे। आवेदन पत्र के साथ वांछित प्रमाण–पत्र एवं अंकसूची व अन्य दस्तावेज राजपत्रित अधिकारी/स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित/सत्यापित होना चाहिए।
- अनुभव के संबंध में अभ्यर्थी को संबंधित संस्था के नियोक्ता द्वारा जारी पूर्णकालिक कार्यानुभव राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित/सत्यापित अनुभव प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा। अनुभव प्रमाण–पत्र की प्रमाणिकता का परीक्षण अनिवार्यतः कराया जावेगा।
- आवेदक द्वारा अवेदन में दिए गए अनुभव को मान्य करने के संबंध में नियुक्ति अधिकारी (संचालक एवं जिलों में कलेक्टर) का निर्णय ही अंतिम होगा।
- किसी भी प्रकार का स्वैच्छिक सेवा का प्रमाण–पत्र अनुभव के रूप में मान्य नही किया जावेगा।
- शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अपने आवेदन पत्र को नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण–पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदन पर विचारणीय नही होगा।
- अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में उम्मीदवारों को पृथक से कोई सूचना नही दी जावेगी एवं ऐसे आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जावेंगे। निर्धारित योग्यता ना रखने वाले उम्मीदवार कृपया आवेदन ना करें।
- प्रत्येक पद के लिए पृथक–पृथक आवेदन देना होगा। लिफाफे के ऊपर एवं आवेदन पत्र में पद का नाम, जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है, स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है। लिफाफे के ऊपर व आवेदन पत्र में प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पूर्ण पता (ई–मेल एड्रेस एवं मोबाईल नम्बर सहित) आवश्यक रूप से अंकित होना चाहिए।

- आवेदक अपनी अर्हता की जॉच स्वयं कर ले तथा विज्ञापित पद के लिये निर्धारित अर्हता एवं शर्तो को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजे। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अयोग्य पाये जाने पर उनका आवेदन पत्र निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जा सकेगी।
- उपरोक्तनुसार अर्हता के आधार पर आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे तथा अंकीय प्रणाली के आधार पर मैरिट तैयार करते हुए वॉक–इन–इंटरव्यू एवं कौशल परीक्षा (आवश्यक हो तो) के आधार पर चयन की प्रक्रिया की जाएगी। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में शिथिलता नही दी जावेगी। केवल विशेष प्रकरण में योग्य आवेदक न मिलने पर ही संचालक, महिला एवं बाल विकास विभाग की अनुमति के उपरांत ही अनिवार्य न्यूनतम अनुभव में शिथिलता दी जा सकेगी।
- आवेदन पत्र पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कोरियर के माध्यम से ही निर्धारित की गई तिथि तक स्वीकार किए जायेगें।
- कौशल परीक्षा/वॉक–इन–इंटरव्यू में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता/अन्य भत्ता देय नही होगा।
- योजना के अंतर्गत एकमुश्त संविदा वेतन पर नियुक्त कर्मी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 से शासित होंगे तथा इन नियमों का पालन करने बाध्य होंगे।

आवेदनों के मूल्यांकन हेतु अंकीय प्रणाली में निम्नानुसार अंक रखे जायेंगे।

1. वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंको का Weightage देते हुए अधिकतम 60 अंक।
2. न्यूनतम अनुभव के पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के अनुभव के लिए 02 अंक दिये जायेंगे, अधिकतम 18 अंक।
3. जिला मिशन समन्वयक तथा जेण्डर विशेषज्ञ, अनुसंधाण एवं प्रशिक्षण विशेषज्ञ तथा वित्तीय साक्षरता एवं समन्वय विशेषज्ञ पद हेतु छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी होना अनिवार्य नही है किन्तु छत्तीसगढ़ राज्य के निवासियों के आवेदन करने पर उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी, इस हेतु मेरिट निर्धारण में अंकीय प्रणाली में छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को इन पदो हेतु 02 पद बोनस अंक दिए जाएंगे। शेष पदों पर अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण–पत्र ही मान्य किए जावेंगे।
4. उपरोक्त तीनो बिंदुओं के आधार पर कुल 80 अंक निर्धारित रहेंगे। जिन पदों पर दोनों रखा जाना है वहां दोनों में 10–10 अंक होंगे।
5. उपरोक्तानुसार अंकीय प्रणाली के आधार पर बिंदु क्रमांक 01, 02, एवं 03 अनुसार कुल 80 अकों का वैटेज के आधार पर मेरिट तैयार करते हुए चयन हेतु मेरिट सूची में से प्रत्येक पद हेतु 1:10 के रेशियों में वॉक इन इंटरव्यू/कौशल परीक्षा हेतु पात्र आवेदकों को आमंत्रित किया जावेगा। उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार अंतिम सूची तैयार की जाएगी एवं चयन किया जायेगा।
6. अभ्यर्थियों के चयन मेरिट सूची में समान अंक होने की दशा में उम्र में वरिष्ठता के आधार पर चयन में वरीयता दी जावेगी।

- इन कर्मियों को अवकाश सुविधा राज्य में प्रचलित छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 यथा संशोधित में संविदा कर्मियों को देय सुविधा के अनुसार दिया जावेगा। विशेष परिस्थितियों पर आवश्यकता होने पर कही यात्रा मे भेजे जाने पर अथवा प्रशिक्षण पर भेजे जाने की दशा में यथोचित स्वीकृति के उपरांत समकक्ष पद के अनुरूप यात्रा भत्ता देय होगा।

चयन हेतु अर्हताएं, मापदण्ड एवं अन्य शर्तो –

भारत शासन द्वारा मिशन शक्ति के अंतर्गत दिए गए मार्गदर्शी निर्देश में चयन हेतु उल्लेखित न्यूनतम आर्हता में राज्य की आवश्यकताओं के आलोक में जिले के लिए वित्तीय मापदंडो को भी ध्यान में रखते हुए अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, अनिवार्य कौशल, अनिवार्य अनुभव एवं वांछित अतिरिक्त योग्यता एवं अन्य शर्तो का निम्नानुसार निर्धारण किया गया है –

जिला स्तरीय (DHEW) हेतु शैक्षणिक योग्यता, अनिवार्य कौशल, अनिवार्य अनुभव –

क्र0	पदनाम	अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	अनिवार्य कौशल	अनिवार्य न्यूनतम अनुभव	वांछनीय योग्यता
1	जिला मिशन समन्वयक	समाज शास्त्र/जीवन विज्ञान/पोषण/स्वास्थ्य प्रबंधन/समाज कार्य/ ग्रामीण प्रबंधन में स्नातक डिग्री(बी.ए) समाज शास्त्र /सामाजिक कार्य, बी.एस. डब्ल्यू, बी.एस.सी. क्लिनिकल एंड न्यूट्रिशियन, बी.एस.सी. फूड एण्ड न्यूट्रिशियन, बी. एस. न्यूट्रिशियन एण्ड डाइटैटिक्स, बी.ए. पब्लिक हेल्थ, बी.बी.ए. रूरल मैनेजमेंट, एम.बी.बी.एस., बी.ए.एम.एस., बी.एच.एम. एस. आदि	कम्प्यूटर का अच्छा ज्ञान एवं एम.एस. ऑफिस में कार्य करने की क्षमता	• संबंधित क्षेत्र का शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कम से कम 03 वर्षो का अनुभव • कम से कम 03 वर्ष का महिलाओं के मुद्दों का अनुभव	• स्नातकोत्तर डिग्री धारक को प्राथमिकता • अंग्रेजी भाषा में कम्प्यूटर में कार्य करने का अनुभव
2	जेन्डर विशेषज्ञ	सामाजिक कार्य/अन्य सामाजिक क्षेत्रों में स्नातक डिग्री	कम्प्यूटर का अच्छा ज्ञान जिसमें एम.एस. ऑफिस एवं कम्प्यूटर टाईपिंग अनिवार्य में कार्य करने की क्षमता	• जेण्डर से संबंधित कार्यो का शासकीय /अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कम से कम 03 वर्षो का अनुभव • कम से कम 03 वर्ष का महिलाओं के मुद्दों का अनुभव	• स्नातकोत्तर डिग्री धारक को प्राथमिकता • अंग्रेजी भाषा में कम्प्यूटर में कार्य करने का अनुभव
3	वित्तीय साक्षरता एवं समन्वय विशेषज्ञ	अर्थशास्त्र/बैंकिंग/अन्य सामान कार्य में स्नातक डिग्री	कम्प्यूटर का अच्छा ज्ञान जिसमें एम.एस. ऑफिस एवं कम्प्यूटर टाईपिंग अनिवार्य में कार्य करने की क्षमता	• वित्तीय साक्षरता/ वित्तीय समावेशन से संबंधित कार्यो का शासकीय/ अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कम से कम 03 वर्षो का अनुभव	• स्नातकोत्तर डिग्री धारक को प्राथमिकता • अंग्रेजी भाषा में कम्प्यूटर में कार्य करने का अनुभव
4	कार्यालय सहायक	लेखा/अन्य क्षेत्र में स्नातक/डिप्लोमा, जिसमें लेखा एक विषय के रूप में सम्मिलित हो	कम्प्यूटर का अच्छा ज्ञान जिसमें एम.एस. ऑफिस एवं कम्प्यूटर टाईपिंग अनिवार्य में कार्य करने की क्षमता	• लेखा संबंधी कार्यो का शासकीय /अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कम से कम 03 वर्षो का अनुभव	• अंग्रेजी भाषा में कम्प्यूटर में कार्य करने का अनुभव

5	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर PMMVY	स्नातक उपाधि के साथ कम्प्यूटर कार्य/आई.टी. अन्य क्षेत्रों का ज्ञान	कम्प्यूटर का अच्छा ज्ञान जिसमें एम. एस.ऑफिस एवं कम्प्यूटर टाईपिंग अनिवार्य में कार्य करने की क्षमता	• डाटा प्रबंधन/प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन एवं वेबबेस्ड रिपोटिंग फार्मेट में कार्य करने का शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कम से कम 03 वर्षो का अनुभव	• अंग्रेजी भाषा में कम्प्यूटर में कार्य करने का अनुभव
6	मल्टी टास्क स्टॉफ	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं पास	–	• किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं या निजी क्षेत्र में कम से कम 02 वर्षो का भृत्य/साफ–सफाई आदि के कार्य का अनुभव	–

नियुक्ति की विधि –

- इन समस्त पदों पर प्रथम बार में संविदा/एकमुश्त वेतन पर अधिकतम 02 वर्ष की अवधि हेतु योग्य अभ्यर्थियों का चयन/नियुक्ति किया जाएगा तथा तद्पश्चात् कार्य योग्यता, कार्य क्षमता एवं व्यवहार तथा विभाग की आवश्यकता के आधार पर तथा नियंत्रणकर्ता अधिकारी की अनुशंसा के आधार पर उपयुक्तता का आंकलन कर संविदा/सेवा अवधि प्रत्येक बार 01 वर्ष के लिए जिला कलेक्टर द्वारा बढाने का निर्णय लिया जा सकेगा अन्यथा नियुक्ति की अवधि समाप्ति पर नियुक्ति स्वमेय समाप्त मानी जाएगी।
- चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं बिना कारण बतायें भी समाप्त की जा सकती है। संविदा सेवा अवधि के दौरान दोनो पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।
- इन पदों की अवधि भारत शासन द्वारा योजना संचालन की अवधि तक ही सीमित होगी एवं तदोपरांत पद समाप्त कर दिये जायेंगे। पद समाप्ति के उपरांत इन पदों पर कार्यरत कर्मियों की विभाग की कोई जिम्मेदारी नही होगी।
- संविदा वेतन भुगतान केवल योजना की राशि अंतर्गत किया जायेगा पृथक से राशि की मांग नही की जायेगी।
- आवेदक का आवेदन दिनांक 05/02/24 को सायं 5:00 बजे तक ''कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ0ग0), पिन–494449'' को अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाना चाहिये। इसके पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नही किया जावेगा। आवेदन पत्र केवल रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट/कोरियर के माध्यम से प्रेषित आवेदन पत्र ही स्वीकार किये जायेंगे।

Sd/- Naayak

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा

:– आवेदन पत्र का प्रारूप :–

प्रति,

स्वयं द्वारा पासपोर्ट साईज फोटो पर हस्ताक्षर किया जावे जिसका आधा भाग फोटो एवं आवेदन पत्र में होना चाहिए चस्पा करें।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा

1. आवेदित पद का नाम :– ....
2. आवेदक का नाम (हिन्दी में) :– ....
   (अंग्रेजी में) :– ....
3. पिता/पति का नाम :– ....
4. स्थायी पता :– ....
   ....
5. (पत्र व्यवहार का पता) :– ....
   .... दुरभाष/मोबाईल ....
6. जन्मतिथि (अंको में) :– ....
   शब्दों में :– ....
7. दिनांक 01/01/2023 को आयु :– ....वर्ष......................माह...............दिन.............................
8. लिंग पुरूष/महिला :– ....
9. जाति/वर्ग (अ.ज./अ.ज.जा./अ.पि.व./सामान्य) जाति .... वर्ग ....
10. क्या आवेदक शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत है :– ....
11. विवाहित/अविवाहित/विधुर/परित्यक्ता :– ....
12. यदि आप विवाहित हैं तो विवाह की तिथि एवं जीवित बच्चों की संख्या :– ....
13. शैक्षणिक योग्यता :– (जन्मतिथि एवं समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

क्र0	उत्तीर्ण परीक्षा	उत्तीर्ण वर्ष	बोर्ड/ संस्था का नाम	प्राप्तांक/पूर्णांक	प्रतिशत	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7

14. अन्य योग्यता का विवरण :– ....

15. अनुभव (अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें) :– ....

संस्था का नाम	पद नाम	अनुभव का विवरण कब से कब तक	वेतन एवं पद छोड़ने का कारण

इसके अतिरिक्त अन्य कोई विवरण देना चाहे तो पृथक पत्रक में सलग्न कर सकते है।

16. अनिवार्य संलग्नों की सूची –

1. जन्म तिथि हेतु 10 वीं की अंकसूची/प्रमाण पत्र
2. 12 वी की अंकसूची
3. स्नातक की अंकसूची
4. स्नातकोत्तर की अंकसूची (पद अनुरूप आवश्यक होने पर)
5. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजयीन प्रमाण पत्र (आवेदन की अंतिम तिथि तक)
6. व्यावसायिक पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र (पद अनुरूप आवश्यक होने पर)
7. निवास प्रमाण पत्र।
8. जाति प्रमाण पत्र।
9. विज्ञापन अनुसार निर्धारित अवधि का अनुभव प्रमाण पत्र
10. एक लिफाफा जिसमें स्वयं का पता लिखा व 10 रू0 डाक टिकट सहित।

17. अन्य संलग्नकों का विवरण :–

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

आवेदक का हस्ताक्षर एवं नाम

//घोषणा – पत्र//

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हुँ कि इस प्रपत्र में दिए गए समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है। और यदि ये असत्य पाए जाते है तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति निरस्त किए जाने योग्य होगी और मेरे विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

आवेदक का हस्ताक्षर

स्थान :– ....

दिनांक :– ....